

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 25 सन 2021

अनवान :-

1. हरलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. गंगाराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 04/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 656/644 की कुल 2.2890हैक् भूमि प्रार्थी /तरतीबी अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी का नाम हरमिन्द्र एवं पता का नाम हरलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम हरलाल एवं पिता का नाम हरलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम हरलाल एवं पिता का नाम जोतराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने प्रार्थी को सुना पत्रावली का अवलोकन किये रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 656/644 की कुल 2.2890हैक् भूमि प्रार्थी /तरतीबी अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम हरमिन्द्र एवं पिता का नाम जोतराम उर्फ हरलाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम हरलाल पुत्र जोतराम एवं पिता का नाम हरलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम हरलाल एवं पिता का नाम जोतराम दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत ने भी प्रार्थी/तरतीबी अप्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है प्रार्थी का नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 656/644 की कुल 2.2890हैक् भूमि हरमिन्द्र पुत्र जोतराम उर्फ हरलाल एवं तरतीबी अप्रार्थी का नाम गंगाराम पुत्र जोतराम उर्फ हरलाल अंकित है के स्थान पर प्रार्थी का नाम हरलाल उर्फ हरमिन्द्र पुत्र जोतराम तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गंगाराम पुत्र जोतराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर उपखण्डाधिकारी

प्रशासन गांव के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/ 24
तहसीलदार राजस्व नोहर 4/10/21
दिनांक :-

विषय :- प्रकरण संख्या 25/2020 अनवानी हरलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. हरलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. गंगाराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में दिनांक 04.10.2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 656/644 की कुल 2.2890 हैक् भूमि हरमिन्द्र पुत्र जोतराम उर्फ हरलाल एवं तरतीबी अप्रार्थी का नाम गंगाराम पुत्र जोतराम उर्फ हरलाल अंकित है के स्थान पर प्रार्थी का नाम हरलाल उर्फ हरमिन्द्र पुत्र जोतराम तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गंगाराम पुत्र जोतराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट ननाउ